कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्राचार्य/उप प्राचार्य द्वारा भारत से बाहर विदेश यात्रा की स्वीकृति चाही गई है–

Sr. No	Employee Name & Designation	Posting Place	Reason for Travel	Journey Duration		No. of Days	Place
				From	To		
1	Megh Raj Meena, RJJP200518026488 Principal	GSSS Dabipada (225313) Chotisarvan, Banswara	Personal	06-09-2023	13-09-2023	07	Malashiya Penang
2	Shiv Dayal Bangali, RJJP201218016017 Principal	GSSS Dhapra (214538) Kareda, Bhilwara	Tour	05-09-2023	14-09-2023	10	Malashiya Penang
3	Braj Mohan Mahawar, RJJP199417001822 Principal	GGSSS Kanechhan Kalan (214490) Shahpura, Bhilwara	Tour	08-09-2023	13-09-2023	06	Malashiya
4	Manju Chainani, RJAJ199501010793 Principal	GGSSS Nalabazar Nwar nenumal halwai chabiligali (221877) Ajmer	Personal	17-09-2023	13-10-2023	27	Halifax, Canada

Rajasthan Education Department

उक्त कार्मिकों को विदेश यात्रा की स्वीकृति निर्देशानुसार अधोलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है–

1- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगें।

2- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नही ठहरेगें, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगें। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एंव उसके विरूद्व आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3- एक वार में स्वीकृत अवकाश में वृद्वि नही की जावेगी।

4- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.09.05 16:48:15 IST
Reason: Approved

लगातार........

RajKaj Ref No. : 4662770

5- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवेः

(1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नही होगा।

(2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एंव महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारंण पूर्ण से कर दिया गया है।

(3) कार्मिक के विरूद्व तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नही है।

(4) कार्मिक के विरूद्व तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधिन नही है।

6- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।

7- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगें।

8- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दोरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जावेगा एंव न ही राजकीय स्त्रोत्र से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।

9- विदेश यात्रा के दोरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नही किया जावेगा।

10- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।

11- विदेश यात्रा के दोरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नही की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3/विदेश यात्रा/2022/197-198

दिंनाक :05.09.2023

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित अधिकारी
7. एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.09.05 16:48:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4662770